# न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 397/2016 (जीसीएमएस संख्याः–2016/00462)

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. गंगाबक्स पुत्र रोडू, जाति–रैगर, निवासी–नेवटा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. जगदीश पुत्र रोडू, जाति–रैगर, निवासी–नेवटा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 )

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री नरेश जैन, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।

**निर्णय** दिनांक :24.03.2021

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम नेवटा की आराजी खसरा नम्बर 1466 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन तालाबी दोयम दर्ज है जो नामान्तरकरण संख्या–97 द्वारा रोडू पुत्र श्री नाथू के नाम, नामान्तरकरण संख्या–336 द्वारा सिवायचक तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या–363 द्वारा वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खसरा नं0 2313, 2314, 2381, 2383 कुल किता 4 रकबा 3.27 हे0 द्वारा परिवर्तन से गंगाबक्स, जगदीश पि0 रोडू जाति–रैगर के नाम जमाबन्दी संवत् 2070–2073 में गैर–खातेदारी दर्ज है। तालाबी भूमि को गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी को निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण भेजा जावे।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम नेवटा की आराजी खसरा नम्बर 1466 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन तालाबी दोयम दर्ज है जो नामान्तरकरण संख्या–97 द्वारा रोडू पुत्र श्री नाथू के नाम, नामान्तरकरण संख्या–336 द्वारा सिवायचक तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या–363 द्वारा वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खसरा नं0 2313, 2314, 2381, 2383 कुल किता 4 रकबा 3.27 हे0 द्वारा परिवर्तन से गंगाबक्स, जगदीश पि0 रोडू जाति–रैगर के नाम जमाबन्दी संवत् 2070–2073 में गैर–खातेदारी दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। वादग्रस्त आराजी तालाबी दोयम दर्ज है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी संवत् 2070–2073 निजी गैर–खातेदारी में दर्ज है जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी तालाबी दोयम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी खातेदारी हेतु/आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत तालाबी दोयम की आराजी की गैर–खातेदारी अप्रार्थीगण को दी गई है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध गैर–खातेदारी का राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में किये गये आवंटन एवं इसके पश्चात् दी गई गैर–खातेदारी के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये गैर–खातेदारी इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री नरेश जैन का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तथ्यों के विपरीत आधार हीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया

गया है जो प्रथम–दृष्ट्या चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी के आवंटन दिनांक 10.01.1970 को अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर की आज्ञा दिनांक 27.12.1983 द्वारा निरस्त किया गया है। अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा आवंटन को आज्ञा दिनांक 10.05.1996 द्वारा बहाल रखे जाने पर सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील की गई है जहां आज्ञा दिनांक 28.01.1999 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 10.05.1996 को निरस्त कर अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर की आज्ञा दिनांक 27.12.1983 को बहाल रखा गया है अर्थात् आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त हो चुका है और अब राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 27.01.1999 के विरूद्ध कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियमानुसार न्याय–संगत निर्णय पारित किया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम नेवटा की आराजी खसरा नम्बर 1466 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी दोयम दर्ज है जो नामान्तरकरण संख्या–97 द्वारा रोडू पुत्र श्री नाथू के नाम, नामान्तरकरण संख्या–336 द्वारा सिवायचक तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या–363 द्वारा वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खसरा नं0 2313, 2314, 2381, 2383 कुल किता 4 रकबा 3.27 हे0 द्वारा परिवर्तन से गंगाबक्स, जगदीश पि0 रोडू जाति–रैगर के नाम जमाबन्दी संवत् 2070–2073 में गैर–खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 10.01.1970 को किया गया है जिसे अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर के निर्णय दिनांक 27.12.1983 द्वारा निरस्त किया गया है। प्रथम अपील स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप नामान्तरकरण संख्या–336 द्वारा सिवायचक दर्ज की गई है परन्तु भू–प्रबन्ध सन् 1989 से 2009 की जमाबन्दी में आवंटी रोडू पुत्र श्री नाथू जाति–रैगर का नाम गैर–खातेदारी दर्ज होने से जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 में आवंटी के वारिसान का नाम गैर–खातेदारी दर्ज है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि जो यह सिद्ध करते हो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 28.01.1999 को चुनौती दी जाकर निरस्त कराया गया हो। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 28.01.1999 के द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर की आज्ञा दिनांक 27.12.1983 को बहाल रखा गया है अर्थात आवंटी

रोडू के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने की आज्ञा को यथावत रखा गया है। चूंकि एक तरफ जहां आवंटन को निरस्त किये जाने की आज्ञा रिकार्ड पर उपलब्ध है वहीं दूसरी ओर वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की गैर–खातेदारी में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 अनुसार दर्ज होना जाहिर है। दोनों ही तथ्य विरोधाभासी होने के कारण रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को न्यायोचित नहीं पाते है। अतः रेफरेन्स प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को वापिस रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय के परिपेक्ष्य में पुनः न्यायसंगत निर्णय लिया जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.03.2021 को सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर